BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 24 नवम्बर, 2022 **थाना कोतवाली नगर**

स्वयं को गोली मारकर झूठा अभियोग पंजीकृत कराने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 09-11-2022 को वादी आसिफ निवासी रुकनसराय थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई आस मौहम्मद व अतीक पर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर आस मौ0 व अतीक को घायल कर देने तथा जान से मारने की धमकी देना के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0-986/2022 धारा 307, 506 भादवि बनाम गंगासहाय पुत्र गंगाराम, विनोद पुत्र गंगासहाय, भूपेन्द्र पुत्र विनोद, मनवीर निवासीगण ग्राम बहलीमपुरा थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर पंजीकृत कराया गया था।

जांच/विवेचना में उक्त घटना झूठी पायी गयी। विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त आस मौहम्मद व अतीक द्वारा पूरानी मुकदमेबाजी के चलते गंगासहाय उपरोक्त के परिवार को झूठा फसाने के लिये तमंचे से गोली चलाकर स्वयं घायल हो गये थे। उक्त घटना के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 24-11-2022 को अभियुक्त आस मौहम्मद व अतीक को बहलीमपुरा बम्बे की पटरी के पास से घटना में प्रयुक्त तमंचे सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1- आस मौहम्मद पुत्र बाबू निवासी तेली वाली गली रुकनसराय थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर।

2- अतीन पुत्र शफीक निवासी उपरोक्त

बरामदगी-

1. 01 तमंचा 12 बोर, 02 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- श्री संजीव कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर

2- उ0नि0 अतुल कुमार चौहान

3- का0 राहुल मलिक, का0 प्रिंस शर्मा, का0 रामसुनील

मीडिया सेल बुलंदशहर